(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 65/2018 केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 29 नवंबर, 2018

सा.का. नि. ....(अ) - आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जिसका कारबार का मुख्य स्थान आंध्रप्रदेश राज्य का श्रीकाकुलम जिला में है, तथा जो उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर संदाय करता हैं हेतु केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 62 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (2) के अधीन जुलाई से सितंबर, 2018 की तिमाही के लिए, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररुप जीएसटी-4 में विवरणी की सीमा समय का विस्तार नवंबर, 2018 के 30वें दिन तक किया जाता है ।

(फा.सं.20/06/17/2018-जीएसटी (पीटी.I)

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)

अवर सचिव, भारत सरकार